न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , अजमेर

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह आर.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 116 / 2022

1. भीमा पुत्र लादू
2. शंकर पुत्र लादू
   समस्त जाति रावत निवासी ग्राम हाथीखेडा, तहसील व जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. मैसर्स एस.आर.जी. हाउसिंग डवलपर्स, नया बाजार अजमेर जरिये प्रबन्धक महोदय ।
2. श्रीमती सरोज क्षेत्रपाल पत्नी रमेश क्षेत्रपाल जाति हिन्दू निवासी कुन्दन नगर अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार अजमेर
4. विद्वान उप पंजीयक अजमेर

उपस्थित

1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक वादीगण
2. श्री नरेन्द्र सिंह राजावत अभिभाषक प्रतिवादी 1 व 2
3. राजकीय पैरोकार

प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यव. प्र.संहिता

आदेश दिनांक 10.01.2023

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता पर सुना गया ।

प्रार्थी अधिवक्ता / प्रतिवादी संख्या 1 व 2 अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा स्वयं को लादू पुत्र लाखा उर्फ लाला के विधिक वारिसान होना अभिकथन कर पैतृक सम्पत्ति वर्णित करते हुए चौसाला जमाबंदी संवत 2023 से 2026 के खाता संख्या 601 (296ए) में किये गये खातेदारी इन्द्राज के आधार पर वर्तमान वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि लाखा व लाला दोनो पृथक–पृथक व्यक्ति होकर उनके स्वर्गवास के पश्चात पृथक–पृथक परिवार विघमान होकर ग्राम हाथीखेडा में निवास करते चले आ रहे है । इस प्रकार वादीगण ना तो स्व0 श्री लादू पुत्र लाला जाति रावत के विधिक वारिसान है तथा ना ही वादीगण का विवादित

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

राजियात में किसी प्रकार का हक–अधिकार, वास्ता–सरोकार व आधिपत्य विद्यमान करता है। ऐसी स्थिति में वादीगण को आराजी मुतनाजा बाबत वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की पृथम दृष्टया कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होकर निरस्त योग्य है। वादीगण के पिता लादू पुत्र लाखा जाति रावत रहे है जिनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण के अतिरिक्त उनकी 05 बहिने श्रीमती गुमानी, श्रीमती मानी, श्रीमती धापू, श्रीमती छोटी व श्रीमती रूकमा भी विधिक वारिसान है जो कि स्वयं वादीगण द्वारा ग्राम पंचायत हाथीखेडा से प्राप्त सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 05.01.2007 से प्रमाणित है। इस प्रकार वादीगण स्वयं द्वारा स्वीकृत अभिवचनो एवं दस्तावेजी साक्ष्य के परिपेक्ष्य में स्व0 श्री लादू पुत्र लाखा जाति रावत के विधिक वारिसान है। परन्तु विधिक प्रकिया का दुरूपयोग कर अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाये जाने की बदनीयतीपूर्वक जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हुए मलिन मस्तिष्क एवं हाथो के साथ वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कि प्रथम दृष्टया विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है। वाद पत्र में वर्णित चौसाला खसरा नम्बर 858 रकबा 15 बिस्वा भूमि के मूल खातेदार लादू पुत्र लाला जाति रावत रहे है जिनके स्वर्गवास के पश्चात विवादित भूमि जरिये विरासत वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 के खाता संख्या नया 269 पुराना 283 में अन्य कृषि भूमियों के साथ विधिक वारिसान श्री उगमा व धन्ना पुत्र गण स्व0 श्री लादू जाति रावत के नाम दर्ज होकर अग्रिम रूप से अंतरित होकर प्रतिवादी संख्या 01 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। इस प्रकार वादीगण का विवादित आराजीयात एवं मूल खातेदारान से कभी भी किसी प्रकार का कोई वास्ता, सरोकार व आधिपत्य नही रहा है, से प्रामि दृष्टया दस्तावेजी साक्ष्य से वादीगण को कोई लोकस स्टेण्डाई नही होने से वाद पत्र वादीगण निरस्त फरमाये जाने योग्य है। चौसाला जमाबंदी संवत 2023 से 2026 के खाता संख्या 601 (296ए) में चौसाला खसरा नम्बर 858 के अतिरिक्त अन्य 08 खसरा नम्बरान भी लादू पुत्र लाला जाति रावत के नाम खातेदारी में दर्ज होकर कब्जे काश्त में रही है। लादू पुत्र लाखा जाति रावत द्वारा अपने जीवनकाल में तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण द्वारा लगभग 60 वर्षो से अधिक समय व्यतीत होने तक वादीगण द्वारा कभी भी लादू पुत्र लाला जाति रावत व उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज खातेदारी व कब्जे काश्त तथा किये गये अन्तरणो व कब्जे काश्त को कभी भी किसी प्रकार से विधिवत जानकारी के उपरांत भी चुनौती

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

दी गई । प्रार्थी / प्रतिवादी अभिभाषक ने लिखित बहस प्रस्तुत कर वादीगण का वाद पत्र प्रथम दृष्टया विधि एवं क्षैत्राधिकार से वर्जित होने के कारण निरस्त फरमावे।

वकिल अप्रार्थी / वादी अभिभाषक ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात चौसाला खसरा नम्बर 858 रकबा 15 बिस्वा बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है तथा चौसाला जमाबंदी संवत 2023 लगायत 2026 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पूर्वजो की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी रही तथा दौराने बन्दोबस्त उक्त वादग्रस्त आराजीयात अन्य व्यक्तियों के नाम सहवन से दर्ज कर दी गयी जिसकी दुरूस्ती कर उक्त आराजीयात बाबत वादीगण द्वारा खातेदारी उदघोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पूर्वजों की है तथा लाखा व लाला दोनो एक ही व्यक्ति है। वादीगण की 5 बहने भी है जिन्हे उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया गया है जबकि वास्तविकता है कि बहनो द्वारा उक्त आराजीयात सम्बन्धी अपने हक एवं अधिकारो को वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया गया है। वादग्रस्त आराजीयात लादू पुत्र लाला की चौसाला जमाबंदी में दर्ज रही है तथा दौराने बन्दोबस्त सेटलमेन्ट विभाग द्वारा चौसाला जमाबंदी से वर्किंग जमाबंदी मुर्तिब करते समय सहवन से उगमा व धन्ना पुत्र लादू के नाम दर्ज कर दी गयी । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार खातेदारी काश्तकारी अधिकारों की उदघोषणा हेतु किसी प्रकार से कोई मियाद अंकित नही की गयी है तथा वादग्रस्त आराजीयात पर वादीगण का ही कब्जा चला आ रहा है। वादीगण द्वारा किसी प्रकार के पंजीकृत विक्रय पत्रो को निरस्त किए जाने की आज्ञज्ञप्ति न्यायालय से नही चाही गयी है । वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पूर्वजों के नाम बतौर खातेदार / काश्तकार के रूप में दर्ज थी तथा दौराने बन्दोबस्त वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के नाम दर्ज नही किए जाने से वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादीगण के हक एवं अधिकारो की उदघोषणा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है जिस बाबत वादीगण को वाद कारण उत्पन्न होने के कारण अपने वाद में समुचित रूप से वाद कारण अंकित किया है तथा वादीगण को विधिनुसार वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। उभय पक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । वादीगण द्वारा वाद पत्र में वर्णित अभिवचनो के तहत मूल रूप से श्री लाला एवं लाखा को एक ही व्यक्ति होना कथन कर स्वयं को विधिक वारिसान होना उल्लेखित करते हुए याचित अनुतोष हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की साक्ष्य खेवट खतौनी 1349 फसली के खाता संख्या 28/2, चौसाला जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल, सजरा प्रमाण पत्र, नामा0 संख्या 58 दिनांक 24.7.1960 नामा0 संख्या 726 दिनांक 28.12.2007, वर्किंग जमाबंदी संवत 2041एवं राजस्व वाद संख्या 113/2013 श्रीमती गुमानी व अन्य बनाम श्रीमती झुमी व अन्य के अनुसार वादीगण के पिता लादू पुत्र लाखा एवं दादा श्री शेरा रावत रहे है, इसी प्रकार प्रतिवादी प्रस्तुत खेवट खतौनी 1349 फसली खाता संख्या 04, चौसाला जमाबंदी संवत 2015 से 2018 के खाता संख्या 240 चौसाला जमाबंदी संवत 2019 से 22 के खाता संख्या 269 ए अंतिम चौसाला जमाबंदी संवत 2023 से 2026 खाता संख्या 601 के अनुसार वाद पत्र में वर्णित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियां लादू पुत्र लाला रावत के खातेदारी में दर्ज होकर जरीये विरासत वर्किंग जमाबंदीसंवत 2041 के खाता संख्या 271 में उगमा, धना पुत्रगण स्व0 श्री लादू रावत के नाम दर्ज होकर पंजीकृत विक्रकय पत्रों दिनांक 26.12.2005 एवं 28.03.2007 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी दर्ज होना सिद्व है जिससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि लादू पुत्र लाला रावत एवं लादू पुत्र लाखा रावत पृथक पृथक व्यक्ति खातेदार है, साथ ही वादीगण द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के पक्षकार संयोजित नही किया गया है तथा लादू पुत्र लाला रावत के स्वर्गवास के पश्चात विवादित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों उगमाव धन्ना रावत के नाम दर्ज की गयी है जिनके सबंध वादीगण द्वारा कोई अभिवचन उल्लेखित नही किये गये जिससे आदेश 02 नियम 02 एवं 3 सीपीसी के प्रावधानो का उल्लघन होता है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम स्वीकृत खातेदारी का मुख्य आधार पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 26.12.2005 एवं 28.3.2007 रहे है जिनको भी वादीगण द्वारा किसी प्रकार से चुनौती नही दी गयी है तथा ना ही पंजीकृत विकय पत्रों की वैधता को निर्णित किये जाने का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय में निहित करता है साथ ही वादीगण द्वारा वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 अर्थात 1984 से वाद प्रस्तुती के मध्य 40 वर्षो की अवधि का भी कोई उचित पर्याप्त एवं सद्भाविक कारण उल्लेखित नही किया गया है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण प्रथम दृष्टया ही स्व0 श्री लादू पुत्र लाला रावत के विधिक वारिसान होना प्रमाणित नही होने से वादीगण को वर्तमान वाद पत्र प्रस्तुत किये जाने की ना तो कोई लोकस स्टेण्डाई निहित करता है तथा ना ही किसी प्रकार से विवादित भूमि बाबत वाद कारण उत्पन्न हुआ जिससे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

परिणामतः प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण का वाद पत्र प्रथम दृष्टया विधि एवं क्षेत्राधिकार से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 10.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

महावीर सिंह
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर